



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228906
CG-DL-E-11082021-228906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2997]
No. 2997]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3230(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21ए, सं. 22 [किमी 5.735 से किमी 10.890 और किमी 40.000 से किमी 62.200 (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 65 [किमी 5.000 से किमी 241.580 (अंबाला – कैथल – नरवाना – हिसार – हरियाणा/ राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 71 [किमी 239.00 से किमी 450.800 (पंजाब/ हरियाणा सीमा –	हरियाणा राज्य सरकार"

जींद - रोहतक - बावल खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 71ए [किमी 0.000 से किमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 709 का विस्तार [(किमी 114.30 से किमी 184.55 (भिवानी - राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 73 [किमी 70.890 से किमी 179.285 (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा - यमुनानगर - साहा - बरवाला - पंचकुला) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 334डी और नई रारा सं. 148बी [(किमी 4.90 से किमी 94.60 और किमी 126.00 से किमी 227.00 (राजस्थान /हरियाणा सीमा - भिवानी - हांसी - पंजाब सीमा) तक खंड को छोड़कर] के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा.सं. एनएच-14013/15/2021-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2982 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3230(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"8"	So much of National Highways No. 21A ,No.22 [excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border- Haryana/Himachal Border)], No.64, No.65 {excluding from km. 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Haryana/Rajasthan Border)}, No.71 [excluding from km.239.00 to km. 450.800 (Punjab/Haryana border- Jind-Rohtak-Bawal section)], No. 71A [excluding from km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-Panipat), Extension of new No. NH 709 (excluding from Km. 114.30 to Km. 184.55 (Bhiwani-Rajasthan border section)], No.73 [excluding From km.70.890 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border- Yamunanagar- Saha- Barwala- Panchkula)], new NH No 334D and new NH No. 148B [excluding from Km 4.90 to Km. 94.60 and from Km.126.00 to Km. 227.00 (Rajasthan/Haryana border- Bhiwani- Hansi- Punjab border section)] as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana".

[F. No. NH-14013/15/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2982 (E), dated the 28th July, 2021.